राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल

RAJASTHAN STATE POLLUTION CONTROL BOARD

4, संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर
फोन नं.: 0141–2716814–805

क्रमांकः–एफ 8 (278)/सा.मा.प्रशा./रा.प्र.नि.मं./ 1618-1622   दिनांकः 10/06/2022

ई– निविदा सूचना

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल, मुख्यालय, 4, संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूँगरी जयपुर को 10 सुरक्षाकर्मी एवं 1 सुपरवाईजर की सेवाऐं अनुबन्ध पर उपलब्ध करवाने हेतु पंजीकृत एंव अनुभवी ठेकेदारों/संस्था/एजेन्सियों से नियमानुसार Two Stage Bid ऑनलाईन E-proc.rajasthan.gov.in आमंत्रित की जाती है, बिड का विवरण निम्नांकित है:–

क्र. सं.	कार्य विवरण	अनुमानित राशि वार्षिक (रू में)	बयाना राशि (रू में)	संविदा अवधि	बिड प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	बिड खोलने की तिथि व समय
1.	1 सुपरवाईजर एवं 10 सुरक्षाकर्मी	23.00 लाख	46,000.00	1 वर्ष	23.06.22 को सायं 4.00 बजे तक	23.06.22 को सायं 5.00 बजे

बिड शर्ते एवं अन्य विवरण प्रकाशन से विभागीय वेबसाईट http://environment.rajasthan.gov.in/ तथा http://sppp. rajasthan.gov.in/ उपापन पोर्टल पर देखे व डाउनलोड किये जा सकते हैं। बिड प्रपत्र एवं अमानत राशि/बिड शुल्क RISL की फीस मूल डी. डी. दिनांक 23.06.2022 को सांय 5.00 बजे तक मण्डल कार्यालय में जमा करवानी होगी। अमानत राशि के बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल, जयपुर एवं RISL शुल्क का बैंक ड्राफ्ट प्रबन्ध निदेशक, राजकोम इन्फो सर्विस लिमिटेड, जयपुर के नाम से देय होगा। बिना डी.डी. के बिड स्वीकार्य नहीं होगी। बिड स्वीकृत/अस्वीकृत करने अथवा किसी भी स्तर पर निरस्त का अधिकार सदस्य सचिव को होगा। तथा सदस्य सचिव का निर्णय सभी के लिए मान्य होगा।

(के.सी. गुप्ता)
प्रभारी अधिकारी (प्रशासन)

क्र मांकः–एफ 8 (31)/सफाई/सा.मा.प्रशा./रा.प्र.नि.मं./   दिनांकः

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. निजी सचिव, अध्यक्ष, रा.प्र.नि.मं., जयपुर।
2. वरि.निजी सहायक, सदस्य सचिव, रा.प्र.नि.मं., जयपुर।
3. मुख्य लेखाधिकारी, रा.प्र.नि.मं., जयपुर।
4. ए.सी.पी. को भेजकर लेख है कि उक्त निविदा को विभागीय वेबसाईट http://sppp.rajasthan.gov.in/E-PROC पोर्टल पर अपलोड करें।
5. नोटिस बोर्ड, रा.प्र.नि.मं., जयपुर।
6. निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त बोली की सूचना का प्रकाशन एक क्षेत्रीय एवं एक राज्य स्तरीय समाचार पत्र में करवाने का श्रम करें।

(के.सी. गुप्ता)
प्रभारी अधिकारी (प्रशासन)

Scanned with CamScanner

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल

RAJASTHAN STATE POLLUTION CONTROL BOARD

4, संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर

फोन नं.: 0141–2716814–805

ई–निविदा प्रपत्र

राज0 राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल मुख्यालय परिसर की सुरक्षा व्यवस्था हेतु संविदा निविदा फार्म (मूल्य रू. 500/–)

1. निविदादाता का नाम व पताः
   (मय दूरभाष/मोबाइल तथा ई–मेल)

2. राजस्थान प्राईवेट सिक्योरिटी एजेन्सी (विनियम) नियम 2006 के अन्तर्गत प्राप्त लाईसेन्स संख्या–
3. निविदादाता का श्रम विभाग पंजीयन संख्याः
4. बोलीदाता/संवेदक द्वारा निम्नलिखित का विवरण निर्धारित कॉलम में प्रस्तुत किया जायेगा पंजीकरण प्रमाण पत्रों की स्वहस्ताक्षरित प्रति बोली दस्तावेजो के साथ लगानी होगी।

क्र. सं.	विवरण	संलग्न क्रमांक
1.	पैन संख्या	
2.	पी.एफ. रजिस्ट्रेशन संख्या व दिनांक	
3.	E. S. I. रजिस्ट्रेशन संख्या व दिनांक	
4.	G. S. T. रजिस्ट्रेशन संख्या व दिनांक	
5.	वार्षिक टर्न ओवर के सम्बंध में गत तीन वर्षो का न्यूनतम 20 लाख रूपये का चार्टेट बकाउण्टेनट द्वारा प्रमाणित प्रमाण पत्र UDI NO./ITR/ Balance Sheet सहित संलग्न करना अनिवार्य	
6.	बिड प्रस्तुत कर्ता फर्म को केन्द्रीय/राज्य सरकार तथा निगम, बोर्ड एवं अन्य राजकिय उपक्रमों में सुरक्षा कार्य हेतु जारी न्यूनतम तीन कार्य आदेश (कार्यआदेश न्यूनतम राशि 10 लाख रूपये) की प्रति	
7.	Code of intigreti and no conflict of interst हेतु घोषणा पत्र (संलग्न 'ब' के अनुसार)	

5. संदर्भ निविदा सूचना................दिनांक..................................
6. राजकोष इन्फो सर्विस लि. RISL के नाम से 500/– डी.डी. नं.................................बैंक .... दिनांक ....
7. निविदा शुल्क रू 500/–जमा कराने का विवरण–
   डी.डी. पत्र/बैंकर चैक न...
   बैंक का नाम............................दिनांक...........................
8. अमानत राशि रू. 46,000/–के डीडी/का विवरण
   बैंकर्स चैक (सदस्य सचिव, राज0 प्रदूषण नियंत्रण मण्डल के पक्ष में डीडी/बैंकर चैक सं0.............दिनांक.....................
   जयपुर के पक्ष में देय होगा का विवरणः–बैंक का नाम...
9. निविदा के लिए प्रस्तावित दर संलग्नक 'अ' में भरी जावे।
10. हमने निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न सभी शर्तो का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर लिया है। मैंने/हमने सभी शर्तें मान्य होने बाबत् निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न शर्तों पर हस्ताक्षर कर दिये हैं।

हस्ताक्षर निविदादाता
मय पता व मोहर

Scanned with CamScanner

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल
RAJASTHAN STATE POLLUTION CONTROL BOARD
4, संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर
फोन नं.: 0141–2716814–805

संलग्न – 'अ'

E-PROC पर वित्तीय बोली अपलोड करने हेतु प्रपत्र
(For Reference only)

बिडदाता द्वारा सेवाओ के उपापन के लिए बोली में दरे निम्नानुसार प्रपत्रो में प्रस्तुत की जायेगी।

क्र. सं.	कार्य की प्रकृति मुख्यालय भवन एवं परिसर की सुरक्षा	उपापन संख्या द्वारा प्रस्तावित संरक्षित दर	बिड दाता द्वारा प्रस्तुत दर प्रति सुरक्षाकर्मी प्रति सुपरवाइजर	सेवा प्रदाता का सर्विसचार्ज राशि	EPF दर प्रतिशत 12%	ESI दर प्रतिशत 3.25%	कुल राशि अंको में	शब्दों में
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		प्रति सुरक्षाकर्मी–11000 प्रति सुपरवाईजर–16000						

1. वित्तीय बोली प्रपत्र मात्र EPRO पोर्टल पर निर्धारित BOQ Excel File द्वारा Upload करनी है किसी भी स्थिति में दरे तकनीकी बोली के साथ प्रस्तुत न करें, ऐसा करने पर बोली निरस्त दर की जायेगी।
2. न्यूनतम दर दाता का निर्धारित श्रेणी वार कालम सं. 8 व 9 में न्यूनतम के आधार पर किया जायेगा।
3. एक से अधिक बोली दाताओं द्वारा कालम 8 व 9 में समान राशि अंकित होने पर जिस बोली दाता द्वारा गत तीन वित्तीय वर्षो का वार्षिक टर्न ओवर सबसे अधिक होगा उस बोली दाता को प्राथमिकता दी जायेगी।
4. बोली दाता द्वारा कॉलम संख्या–5 में सर्विस चार्ज राशि पूर्ण रूपयों में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

हस्ताक्षर
बोलीदाता मय दिनांक व पता

Scanned with CamScanner

Annexure - 'B'

Annexure A: Compliance with the code of integrity and No Conflict of Interest

Any person participating in a procurement process shall-

A. Not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process.
B. Not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtion a financial or other benefit or avoid an obligation.
C. Not indulge in any collusion, Bid rigging or anti-competitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process.
D. Not misuse any information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process.
E. Not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process.
F. Not obstruct any investigation or audit of a procurement process.
G. Disclose conflict of interest, if any; and
H. Disclose any previous transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

Conflict of Interest:-

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of Interest.

A Conflict of Interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

A Bidder may be considered to be in conflict of Interest with one or more parties in a bidding process if, including but not limited to:-

A. Have controlling partners / shareholders in common; or
B. Receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or
C. Have the same legal representative for purpose of the Bid; or
D. Have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to influence the decisions of the Procuring Entity regarding the bidding process; or
E. The Bidder participates in more than one Bid in a bidding process. Participation by a bidder in more than one Bid will result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a Bidder; in more than one Bid; or
F. The Bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the Goods, Works or Services that are the subject or the Bid; or
G. Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the procuring Entity as engineer-in-charge/ consultant for the contract.

Bidder signature
With Seal and Date

Scanned with CamScanner

राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मण्डल परिसर एवं मय भवनों की सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध करवाने का कार्य विवरण एवं ठेके की शर्ते

1. सुरक्षा कार्य हेतु Wabsite E-Proc पर ऑनलाइन बिड दो स्तर (Two Stage) में आमंत्रित की गई है। तकनीकी बिड तथा वित्तीय बिड पृथक–पृथक प्रस्तुत करना आवश्यक है। सर्वप्रथम तकनीकी बिड खोली जायेगी तथा तकनीकी बिड में योग्य पाई गई बिड की ही वित्तीय बिड खोली जायेगी।

2. निविदा के साथ रजिस्ट्रेशन, अमानत राशि, RISL एवं निविदा फीस तथा सरकारी/अर्ध सरकारी संस्थान में सुरक्षाकर्मी एवं सुरपरवाईजर प्रदान करने का कम से कम पाँच वर्ष का अनुभव तथा वार्षिक टर्न ओवर 20 लाख कम से कम का प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक है एवं निविदादाता का वार्षिक टर्न ओवर विगत तीन वित्तीय वर्षो में कम से कम 20 लाख का होने मूं सी.ए. द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र (With UDIN No./ITR/Balance sheet) प्रस्तुत करना होगा।

3. राज्य मण्डल की सुरक्षा व्यवस्था बिना अवकाश के पूरे 24 घंटे की होगी, जो तीन पारियों में होगी। प्रथम पारी प्रातः 6.00 बजे से दोपहर 2.00 बजे 3 सुरक्षा प्रहरी, द्वितीय पारी दोपहर 2.00 बजे से 10.00 बजे तक 3 सुरक्षा प्रहरी, रात्री 10.00 से प्रात 6.00 बजे तक 3 सुरक्षा प्रहरी कुल 9 सुरक्षा प्रहरी तथा एक सुपरवाइजर प्रात 9.30 बजे से सांय 6.00 बजे तक रहेगे। एक सुरक्षाकर्मी जनरल षिफ्ट में रहेगा। इस प्रकार कुल 10 सुरक्षाप्रहरी व एक सुपरवाईजर रहेगा। 24 घंटे चलने वाली इस सुरक्षा व्यवस्था के सुचारू संचालन व देख रेख के लिए सुरक्षा पर्यवेक्षक (दिन के लिए) जो कि संपूर्ण सुरक्षा व्यवस्था के सुचारू संचालन के लिए उत्तरदायी होगे। सुरक्षाकर्मियों की संख्या में कमी अथवा बढ़ोत्तरी भी की जा सकती है।

4. सुरक्षा कर्मी के किसी दिवस में अनुपस्थित रहने पर अनुपातिक रूप से कटौति की जाएगी।

5. यह अनुबंध (इकरारनामा) एक वर्ष की सेवा अवधि के लिए किया जायेगा जो एक वर्ष की अवधि तक के लिए वैध होगा। उक्त अवधि में सेवा संतोषजनक होने पर आपसी सहमती से एक वर्ष नियमानुसार वृद्धि की जा सकती है।

6. सुरक्षा प्रहरियों द्वारा किसी प्रकार की अभद्रता, अनुशासनहीनता तथा गैर जिम्मेदाराना हरकत करने पर उन्हें तुरन्त लौटा दिया जावेगा। किसी भी प्रकार की चोरी, वित्तीय हानि की जिम्मेदारी अथवा देनदारी अनुबंधकर्ता सुरक्षा एजेन्सी की होगी। सभी कर्मियों के पते एवं विवरण संबधित पुलिस थाने (गाँधी नगर, जयपुर) व राज्य मण्डल को दिये जाने आवश्यक है। इस संबंध में उत्पन्न किसी भी प्रकार के कानूनी वाद की जिम्मेदारी अनुबंधकर्ता की होगी एवं इस संबंध में राज्य मण्डल का कोई उत्तरदायित्व नही होगा।

Scanned with CamScanner

7. समस्त सुरक्षा प्रहरी ड्यूटी पर पूर्ण निर्धारित वर्दी में ही रहेगे। वर्दी, टोपी, सीटी, टार्च, बैज इत्यादि की व्यवस्था अनुबंधकर्ता करेगा।

8. किसी भी सुरक्षा प्रहरी को नशे ही हालत में अथवा सोते हुए या अन्य किसी गफलत में पाया जाने पर एवं ड्यूटी पर लापरवाही बरतते हुए पाये जाने पर आवश्यक कानूनी कार्यवाही की जायेगी तथा उसे तत्काल लौटा दिया जायेगा एवं उसके पूर्ण हर्जे खर्जे की जिम्मेदारी अनुबंधकर्ता की होगी।

9. सविदा अवधि में होने वाली किसी चोरी या अन्य अवांछनीय तत्वों द्वारा तोडफोड व अन्य हानि का उत्तरदायित्व अनुबंधकर्ता/सुरक्षा एजेन्सी का होगा। मण्डल हानि संस्था से वसूल करेगी। फर्म की जिम्मेदारी/दायित्व वेतन का भुगतान, अवकाश इत्यादि, पीएफ एक्ट, लैबर कॉन्ट्रेक्ट (रेगुलेशन एण्ड एवोलेशन एक्ट, 1970) अन्य कानून जो कि समय–समय पर लागू हो, को कॉन्ट्रेक्ट लैबर पर लागू होगें। जिसकी जिम्मेदारी स्वय ठेकेदार की होगी।

10. राज्य मण्डल द्वारा इस हेतु अधिकृत अधिकारी द्वारा सुरक्षा व्यवस्था संबंधी दिये गये निर्देशों की पालना सुरक्षा पर्यवेक्षक, सुरक्षा प्रहरियों एवं अनुबंधकर्ता संस्था को करनी होगी।

11. संवेदक को राज्य/केन्द्र सरकार की नवीनतम दरों के अनुसार अपने समस्त श्रमिकों का नियमानुसार ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. जमा कराना होगा, जिसमें नियोजित श्रमिकों की मजदूरी राषि से कटौती और संवेदक का अंशदान शामिल होगा। संवेदक द्वारा अपने आगामी माह के बिल के साथ गत माह के पेटे श्रमिकों के ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. के अंशदान की राषि नियमानुसार जमा कराये जाने की पुष्टि में संबंधित चालान की प्रति प्रस्तुत किये जाने पर ही संवेदक को आगामी माह के बिल/बिलों का भुगतान किया जायेगा।

12. नियोजित श्रमिकों को 240 दिवस पूर्ण कर लिये जाने पर औद्योगिक विवाद अधिनियम 1974, में विहित प्रावधानों, के अनुसार श्रम नियोजित श्रमिकों को हटाने, कार्यमुक्त करने, नोटिस वेतन, छटनी, मुआवजा आदि देने का समस्त उत्तरदायित्व संवेदक का होगा।

13. सुरक्षा कर्मियों का यह भी दायित्व होगा की वे मण्डल से बाहर ले जा रही सामग्री/सम्पत्ति की जाँच करें तथा केयरटेकर/पर्यावरण अभियन्ता प्रशासन के समुचित आदेश के बिना परिसर से बाहर न जाने दें तथा अनुमति से बाहर ले जाई गई वस्तु का रिकार्ड अपने पास रखेगें।

14. राज्य मण्डल कर्मिको के वाहनो को यथा साईकिल/स्कूटर, कार, जीप आदि को निर्धारित स्थल पर खडा करवाना भी सुरक्षा कर्मियों का दायित्व होगा। परिसर में से यदि कोई वाहन चोरी होता है तो उसकी दायित्व भी सुरक्षा कर्मियों का ही होगा। मालवाहक वाहनों के प्रवेश एवं निकासी सामग्री जो वाहन में उसकी सूची मय वाहन संख्या सुरक्षा एजेन्सी के पास होनी चाहिए जो कि संबंधित अधिकारी द्वारा प्रमाणित होगी।

Scanned with CamScanner

15. निविदादाता को निविदा के साथ अमानत राशि के रूप में 46,000/– रूपये जमा कराने होंगें। निविदा स्वीकार न होने पर यह राशि लौटा दी जायेगी। निविदा स्वीकार होने पर यह राशि प्रतिभूति राशि में समायोजित कर ली जायेगी। अमानत राशि सदस्य सचिव, रा.प्र.नि.मं. के पक्ष में देय डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर चैक द्वारा जमा करवाई जा सकती है।

16. केवल भारतीय सेना के सेवा निवृत्त सैनिक ही सुरक्षा कार्य के लिए स्वीकार्य होगे। इस हेतु अधिकतम आयु 60 वर्ष की होगी।

17. प्रत्येक सुरक्षाकर्मी की सेवा अवधि 8 घंटे की होगी। सुरक्षाकर्मियों का भौतिक सत्यापन समय–समय पर अवधाता (केयरटेकर) से कराना होगा जो प्रत्येक सुरक्षाकर्मी का कार्य स्थल पर जाकर जायजा लेगे तथा अन्य निर्दिष्ट अधिकारी समय–समय पर सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण करेंगे।

18. राज्य मण्डल के कमरो एवं वाहन की समस्त चाबियों को मय छल्ले जिस पर अनुभाग का नाम हो, निर्धारित की बोर्ड में लगाना होगा ताकि आवश्यकता होने पर तत्काल चाबी आसानी से मिल सके।

19. अनुबंधकर्ता एजेन्सी का सुपरवाइजर सुरक्षा व्यवस्था, सफाई व्यवस्था, बगीचे के रखरखाव का निरिक्षण प्रतिदिवस करेगे यदि कोई भी कमी पायी जाती है तो केयर–टेकर को तत्काल अवगत करायेगे।

20. सुरक्षा पर्यवेक्षक/सुरक्षा कर्मी राज्य मण्डल की सफाई के दौरान सफाई कर्मियों के साथ कार्यालय कमरों/वाचनालय आदि सभी स्थानों पर उपस्थित रहेंगे, जिससे मण्डल की कोई भी सम्पत्ति का नुकसान या चोरी नही हों इस दौरान होने वाले नुकसान की जानकारी अधिकृत अधिकारी को तुरन्त प्रस्तुत करना पर्यवेक्षक/सुरक्षाकर्मी का दायित्व होगा।

21. अनुबन्ध में वर्णित कार्य सुचारू व संतोषजनक रूप से पूरे न करने पर यदि आवश्यक समझा गया तो कार्य अनुबंधकर्ता के हर्जे खर्चे पर अन्य ऐजेन्सी/साधन से करवाया जायेगा तथा यदि इस व्यवस्था पर कोई अतिरिक्त व्यय राज्य मण्डल को वहन करना पडा तो वह राशि अनुबंधकर्ता से वसूल योग्य होगी। यह राशि अनुबंधकर्ता के नियमित मासिक भुगतान से वसूल की जा सकेगी तथा मासिक भुगतान बकाया न होने की स्थिति में धरोहर राशि में से वसूल की जायेगी।

22. कार्य संतोषजनक न होने की स्थिति में राज्य मण्डल यह अनुबंध किसी भी समय बिना कारण बताये समाप्त कर सकता है जबकि अनुबंधकर्ता संस्था को उसकी ओर से ठेका (अनुबंध) समाप्त करने की स्थिति में कम से कम दो माह का पूर्व नोटिस देना होगा ताकि राज्य मण्डल समय रहते वैकल्पिक व्यवस्था कर सके। धरोहर राशि अनुबंध की अवधि समाप्ति पर अनुबंध के सतोषजनक निष्पादन होने की स्थिति में वापस की जावेगी।

Scanned with CamScanner

23. इस अनुबंध का न्याय क्षेत्र जयपुर होगा।

24. बिड में भाग लेने वाले बिडदाता को चाहिए कि वह बिड की EMD/RISL/Bid प्रपत्र फीस का DD बिड खोलने के निधारिंत समय से पूर्व रा.राज्य प्रदूषण नियंत्रध मण्डल में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करना चाहिए अन्यथा बिड खोली नहीं जायेगी।

25. समुचित अमानत राशि तथा RISL तथा Bid प्रपत्र की फीस की राशि के अभाव में निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा।

26. एस.एम.एस. ई रजिस्टर्ड फर्म को निविदा शुल्क तथा अमानत राशि में छूट देय नही होगी।

27. निविदादाता द्वारा प्रस्तुत दरों में अंको एवं शब्दो में अन्तर होने की स्थिति में जो दर कम होगी उसी पर विचार किया जावेगा।

28. बिड प्रक्रिया के दौरान यदि एक से अधिक बिडदाताओं की दरे समान (Equail) प्राप्त होती है तो ऐसी स्थिति में जिस बिडदाता का (Tornover) अधिक होगा उसकी दरों को प्राथमिकता दी जायेगी।

29. बिड प्रदाता को अमानत राशि अनुमानित व्यय का 2% आवयश्यक रूप से DD/BC के रूप में प्रस्तुत करनी होगी। साथ ही बिड प्रपत्र शुल्क 500रू. तथा RISL फीस 500रू. प्रस्तुत करनी होगी। बिड प्रपत्र शुल्क सदस्य सचिव राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल जयपुर तथा RISL फिस MD RISL के नाम DD/बैंकर चेक के रूप में प्रस्तुत करनी अनिवार्य होगी।

30. निविदाएँ खोले जाने की तिथि से 90 दिन तक विधि मान्य होगी

31. अनुबन्ध की शर्तों का उल्लंघन करने पर बिना नोटिस दिये अनुबन्ध निरस्त किया जा सकेगा, अनुबन्ध अवधि में यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है तो विवाद के सम्बन्ध में सदस्य सचिव प्रथम अपील अधिकारी तथा अध्यक्ष राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वितीय अपील अधिकारी होगा। अपील में प्रपत्र एवं फीस RTPP के नियमों में निधारिंत अनुसार होगें।

32. कार्य सम्पादन अवधि के दौरान कार्य के सम्पादन/सन्दर्भ में किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति का मुआवजा देने/ E.S.I. करवाने/सामूहिम दुर्घटना बीमा कराने इत्यादि की जिम्मेदारी/दायित्व संवेदक का होगा। इसके लिये उपापन संस्था की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

33. सेवा प्रदाता फर्म एजेन्सी को अपनी दरें प्रति सुरक्षा प्रहरी तथा प्रति सुरक्षा सुपरवाइजर प्रतिमाह की दर से प्रस्तुत करनी होगी तथा बिड प्रपत्र में अंकित रिजर्व दर (Reserve Rate) से कम प्रस्तुत करने पर स्वीकार नहीं की जायेगी।

34. सेवा प्रदाता द्वारा प्रस्तुत दरों पर नियमानुसार PF 12% तथा ESI 3.25% की दर से देय होगा।

Scanned with CamScanner

Km

करार की प्रतिभूति निक्षेप

35. सफल निविदादाता को अनुमोदन आदेश प्राप्त होने के 7 दिन की अवधि के भीतर एक करार पत्र निष्पादित करना होगा तथा जिन सेवाओं के लिए निविदाएं स्वीकार की गयी है, अनुमानित वार्षिक लागत मूल्य के 2½ प्रतिशत के बराबर प्रतिभूति जमा करानी होगी। अन्यथा अमानत राशि जब्त कर ली जाएगी। बिड में प्रस्तुत अमानत राशि एवं प्रतिभूति राशि पर किसी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा।

निम्नलिख्ति परिस्थितियों में जमा प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जाएगी:–

I. जब संविदा की शर्तो का उल्लंघन किया गया हो।

II. जब निविदादाता सम्पूर्ण सेवाए संतोषजनक ढंग से करने में असफल रहता हो।

III. निविदादाता समय से पूर्व अनुबन्ध बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त करता हो।

भुगतान

36. सफल निविदादाता भुगतान हेतु सदस्य सचिव के पक्ष में अपना बिल तीन प्रतियों में प्रस्तुत करेगा तथा भुगतान विभाग द्वारा अधिकृत अधिकारी से सन्तोष जनक रिपोर्ट के आधार पर होगा।

37. संवेदक द्वारा नियोजित श्रमिकों की मजदूरी का भुगतान अनिवार्य रूप से उनके बैंक खातों में ही किया जायेगा। संबंधित संवेदक द्वारा नियोजित श्रमिकों के बैंक खाते में जमा कराई गई राशि का विवरण संबंधित उपापन संस्था को आगामी माह के मासिक बिल के साथ अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जायेगा। श्रमिकों के बैंक खातों में जमा कराई गई राशि के विवरण बाबत उपापन संस्था की संतुष्टि होने पर ही संवेदक को आगामी माह के बिल का भुगतान किया जायेगा।

38. प्रथम विल के उपरान्त अगले माह के साथ पी.एफ. जमा का प्रमाणक मय कर्मचारी की सूची के साथ संलग्न करेगा।

अन्य शर्ते

39. कार्यालय समय के अलावा व राजपत्रित अवकाश दिवसों को आने वाले अधिकारी/कर्मचारियों के आने एवं जाने की एक पंजिका संधारित करनी होगी। सक्षम अधिकारी द्वारा किसी भी कक्ष को खोलने एवं बन्द करने की अनुमति प्रवान करने की स्थिति में ही अनुपालना कर संधारित पजिका में इन्द्राज करना होगा।

40. राज्य मण्डल में आने वाले आगतुकों का रजिस्टर संधारित करना होगा तथा सक्षम अधिकारी की अनुमति से ही आगतुकों को आगे यथास्थान भेजा जावेगा।

Scanned with CamScanner

41. कोई भी सुरक्षाकर्मी अपने ड्यूटी स्थान को नही छोडेगा एवं ड्यूटी पर जाने से पूर्व ही उपस्थिति पंजिका में हस्ताक्षर करेंगे। ड्यूटी के दौरान सुरक्षाकर्मी सचेत एवं सजग रहेगे तथा अपने आस पास के क्षेत्र पर नजर रखेगे।

42. किसी सुरक्षाकर्मी के अवकाश पर जाने अथवा निर्धारित समय से पूर्व ड्यूटी छोडने अथवा विलम्ब से आने पर ठेकेदार को उसके स्थान पर वैकल्पिक व्यवस्था कर उसकी सूचना कार्यालय को देनी होगी।

43. निविदा स्वीकार होने एवं अनुबन्ध किए जाने के उपरान्त ठेकेदार ठेके को 'सब लेट' नही करेगा यदि वह ऐसा करता पाया गया तो नियमानुसार ठेका निरस्तीकरण एवं सुरक्षा राशि वसूलने की कार्यवाही की जाएगी।

44. बिडदाता द्वारा प्रस्तुत दरे सैनिक कल्याण बोर्ड की वर्तमान में स्वीकृत दरों से कम नहीं होगी, तथा समय – समय पर दरों में संशोधन होने पर तदानुसार दरें प्रभावी होगी।

45. कार्य संतोषजनक नही होने व अनुबन्ध की शर्तो के विरूद्व कार्य करने पर राज्य मण्डल द्वारा द्वारा पेनल्टी लगाई जा सकती है जो कि सुरक्षा एजेन्सी को मान्य होगी।

46. सेवा प्रदाता फर्म को अपनी दरे प्रति सुरक्षा कर्मी तथा प्रति सुरक्षा सुपरवाइजर के रूप में प्रस्तुत करनी होगी।

47. अपूर्ण तथा सशर्त निविदा को स्वीकार नही किया जायेगा।

48. बोली के साथ सभी आवश्यक प्रमाण पत्र संलग्न करने होगे।

49. बोली प्रपत्र एवं हस्ताक्षर युक्त समस्त दस्तावेज Wabsite - EProc पर ही प्रस्तुत की जानी है।

50. सुरक्षा एजेन्सी राजस्थान प्राईवेट सिक्योरिटी एजेन्सी (विनियम) नियम 2006 के अन्तर्गत लाईसेन्स प्राप्त होना चाहिए। उक्त आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत नही करने पर निविदा पर विचार नही होगा।

मैने/हमने उपर्युक्त समस्त शर्ते ध्यानपूर्वक पढ ली है। मैं/हम इनका निष्पादन करने के लिए बाध्य है।

फर्म का नाम एवं पते सहित

हस्ताक्षर निविदादाता मय नाम व मोहर

Scanned with CamScanner